FROM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) [stamp] मुकाम ....

रघुनाराम बगोरिया (?) बनाम बिशना (?) बगोरिया

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 278/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/8/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री शिवदयाराम (?) प्रिया (?) ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10/9/19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) [stamp]	
11/09/19	अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील होकर तामील अप्राप्त। इन्तजार रहकर पत्रावली दिनांक 15/10/19 को पेश हो। पुनः विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता [illegible] नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकपक्षीय [illegible] अमल में लाई जाती है [illegible] पत्रावली दिनांक 15/10/19 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2021.01.06 17:02:37 IST
Reason: SelfAttested

/वाद/2019/

प्रार्थी

रूपाराम पुत्र

15/10/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक-पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेत नेड़ा नेड़ आये हुए है प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी माड़े व डोली आये हुए थे जो आंधियों की वजह से विलय गये हैं। जिस कारण प्रार्थी व विपक्षी-गणों के मध्य मेढों को लेकर तनाजा बना रहता है। बरसात होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के मेढों को तोड़कर प्रार्थी के खेतों में खेती कर लेते हैं। जिस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के निशान स्थापित करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का निशानदेही आवेदन स्वीकार किया जाकर निशान-देही आदेश किया जावे।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का निशानदेही आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की निशानदेही मौके पर कमिश्नर शुल्क रुपये 500/- जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

15.10.2019

...युक्त कलक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2021.01.06 17:02:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

मांक/वाद/2019/ 826 | दिनांकः– 18/10/19

प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण

रूपाराम पुत्र शेराराम जाट
निवासी धतरवालों का सरा

विशनाराम पुत्र अचलाराम वगैरा
निवासी धतरवालों का सरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या /2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा धतरवालों का सरा पटवार हल्का छीतर का पार तहसिल बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 345/27 रकबा 116.01 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 827-31 | दिनांकः– 18/10/19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी ~~हल्का~~ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री रूपाराम पुत्र शेराराम
4. विप्रार्थीगण विशनाराम पुत्र अचलाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/मिसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2021.01.06 17:02:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
सहायक कलक्टर
बायतु